



दिनांक -21.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 सरिया (घटना में प्रयुक्त) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2026 को वादी धर्मेन्द्र पुत्र ताराचंद निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.गुलशन पुत्र सीताराम 2.बँटी पुत्र सीताराम 3.अर्जुन पुत्र बलवीर निवासीगण ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा वादी के चाचा भूप सिंह के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डंडों व सरिये से मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देते हुए वहा से भाग जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0-117/2026 धारा 115(2),352,351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 01 अभियुक्त गुलशन उर्फ मेहता पुत्र सीताराम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर कोर्ट रोड सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का सरिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुलशन उर्फ मेहता पुत्र सीताराम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 340/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 117/26 धारा 109(1), 115(2),352,351(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवकरन शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 532 ऋषिपाल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. का0 2225 रंगेश चौधरी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।



दिनांक -21.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **उस्मान पुत्र हासिम निवासी धोबी वाला थाना मण्डी सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं. 4652/2023 मु0अ0सं0 356/2022 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर) (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर) को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उस्मान पुत्र हासिम निवासी धोबी वाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रताप शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 235 विनित थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक - 21.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा NBW वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **धर्मेन्द्र पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम कुराली थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर (सम्बन्धित वाद संख्या 15/2022 मु0अ0स0 147/2020 धारा 60 (2) EX ACT 188/272/273 भादवि0 व 3 महामारी अधि0) को** ग्राम कुराली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

धर्मेन्द्र पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम कुराली थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. हे0का0 1288 सुधीर कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



दिनांक: 21.04.2026

थाना मण्डी की मिशन शक्ति टीम द्वारा दुकान से कपड़े चोरी करने वाली 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 04 सूट, 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु) व 4000/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2026 को वादी मुशबीर पुत्र मेहरबान निवासी आजाद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत एक अज्ञात महिला द्वारा वादी की कपड़ों की दुकान में से 04 सूट चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात महिला पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्ता की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश प्रदान किए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी मिशन शक्ति टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.04.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता परवीन पत्नी वासिद निवासी कस्बा सैनीपुरा थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड हाल पता गली न0- 02 लिंक रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को पुराने कलसिया रोड से खाताखेडी जाने वाले रास्ते पर जैवी जैन स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 04 सूट, 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु) व 4000/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण

परवीन पत्नी वासिद निवासी कस्बा सैनीपुरा थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड हाल पता गली न0- 02 लिंक रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 4000/- रुपये नकद
- 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु)
- 04 सूट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 प्रीती, थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर।
3. म0है0का0 494 अर्चना, थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 192 अशोक कुमार थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:21.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.04.2026 को वादी श्री जोनी पुत्र अनिल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सौरभ पुत्र जसबीर उर्फ जग्गा निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई सोनू के साथ मारपीट करना व जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा देने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 141/2026 धारा 109(1), 115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी सुश्री सिमरन सिंह (I.P.S.) के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सौरभ पुत्र जसबीर उर्फ जग्गा निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम अब्दुल्लापुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सौरभ पुत्र जसबीर उर्फ जग्गा निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. म0उ0नि0 माधुरी शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1111 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 21.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल व 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.04.2026 को वादी मीनाक्षी पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम रादौर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर द्वारा थाना थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्रो रजि0 नं0 HR 05 AH 1236 श्री बालाजी धाम मन्दिर कस्बा गंगोह से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 174/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21/04/2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **सादिक उर्फ कैचा पुत्र अख्तर निवासी मौ0 इलाहीबक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहे से बुढ़ाखेडा जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल व 01 अवैध चाकू बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधि0 की बढोतरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सादिक उर्फ कैचा पुत्र अख्तर नि0 मौ0 इलाहीबक्श कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोटर साईकिल स्पलैडर नं0 HR 05 AH 1236
- 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 522/18 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 06/19 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 79/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 564/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 384/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 02/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 286/21 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 290/21 धारा /25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 336/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 188/15 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना तीतरों जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक:21.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**जनपदीय साइबर सैल, सहारनपुर पुलिस द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये
13,27,798 /- रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराये गये**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.03.2026 को शिकायकर्ता श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी माधोनगर, जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर पंजीकृत कराई थी, जिसमें अज्ञात ठगों द्वारा वादी से ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर 1,02,00,000/- रुपये ठग लिये गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम सहारनपुर पर मु0अ0सं0 13/26 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में साइबर सैल टीम द्वारा उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुये शिकायतकर्ता की धनराशि 13,27,798/- रुपये (तेरह लाख सत्ताइस हजार सात सौ अठानबै रुपये) सम्बन्धित नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर दिनांक 20.04.2026 को जनपदीय साइबर सैल टीम द्वारा वापस कराई गई। शेष धनराशि की बरामदगी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जल्द ही बरामदगी कर घटना का सफल अनावरण किया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधड़ी में गई धनराशि वापस कराने पर जनपदीय साइबर सैल का आभार प्रकट किया है।

धोखाधड़ी में गई धनराशि को वापस कराने वाली साइबर सैल टीम-

1. निरीक्षक श्री जावेद खान, प्रभारी साइबर सैल जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री इन्द्रेश चौहान, प्रभारी थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 125 आदित्य राणा, साइबर सैल जनपद सहारनपुर।
4. का0 496 गौरव कुमार, साइबर सैल जनपद सहारनपुर।
5. का0 2195 अनिल कुमार, साइबर सैल जनपद सहारनपुर।
6. का0 2295 अबनेश कुमार, साइबर सैल जनपद सहारनपुर।
7. का0 2310 मनोज कुमार, साइबर सैल जनपद सहारनपुर।
8. का0 2178 लवेश कुमार, साइबर सैल जनपद सहारनपुर।
9. का0 2318 सौरभ सिंह, साइबर सैल जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



दिनांक: 21.04.2026

थाना सरसावा की मिशन शक्ति टीम द्वारा 01 शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की खरीद फरौख्त करने व तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में सरसावा की मिशन शक्ति टीम द्वारा आज दिनांक 21.04.2026 को गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **जितेन्द्र पुत्र कलाशीराम निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को नानू माजरा रोड से अंदर आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (रसीला माल्टा) बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 124/2026 धारा 63 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जितेन्द्र पुत्र कलाशीराम निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (रसीला माल्टा)

आपराधिक इतिहास अभि0 जितेन्द्र उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 51/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सरसावा स0पुर
2. मु0अ0सं0 59/2013 धारा 377 भा0दवि0 थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 279/2013 धारा 380/411 भादवि0 थाना सरसावा
4. मु0अ0सं0 105/2015 धारा 110 (G) थाना सरसावा
- 5-मु0अ0सं0 199/2019 धारा 60/63 आबकारी अधि0 272/273 भादवि0 थाना सरसावा
- 6-मु0अ0सं0 124/2026 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. का0 2225 रंगेश चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:21.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे

गये 32,654/- रुपये पीडिता के खाते मे वापस कराये गये

अवगत करना है कि दिनांक 12.12.2025 को पीडिता निशा मित्तल पत्नी दीपक मित्तल निवासी पंत विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात साइबर ठग द्वारा पीडिता के व्हाट्सअप पर शादी के कार्ड की apk फाईल भेजकर साइबर फ्राड कर 97,099/- रुपये ठग लिये गये थे। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पीडिता निशा मित्तल द्वारा साइबर हैल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 33112250180348 दर्ज करायी तथा थाना सदर बाजार पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01.02.2026 को मु0अ0स0 64/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी में आनलाईन धोखाधड़ी कर ठगे गये रूपयों की वापसी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार साइबर हेल्प डेस्क टीम/विवेचक द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आनलाईन धोखाधड़ी के माध्यम से ठगे गये 97,099/- रुपये में से 32,654/- रुपये की धनराशि पीडिता के खाते में वापस करायी गयी। धनराशि वापस आने पर पीडिता व पीडिता के पति दीपक मित्तल द्वारा थाना सदर बाजार साइबर हैल्प डैस्क का आभार प्रकट किया गया।

खाते में वापस करायी गयी धनराशि-

➤ 32,654/- रुपये

साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर। (विवेचक)
2. निरीक्षक बीरबल सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।(साइबर सैल)
4. म0है0का01133 अनवेष थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक:21.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को
किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.03.2026 को वादिया श्रीमति गीता पत्नी नोरतू निवासी पुष्पांजलि विहार जनता रोड थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नीरज पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व अन्य के द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा शिकायत करने पर धमकी देने के संबंध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 64/26 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 5एल/6 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.04.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **नीरज पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हाल पता ओम कुमार का किराये का मकान, नवीन नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को ग्राम सढौली दुनीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नीरज पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हाल पता ओम कुमार का किराये का मकान, नवीन नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा, थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
2. है0का0 218 अय्यूब, थाना जनकपुरी सहारनपुर ।



दिनांक:21.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गुमशुदा को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2026 को वादी द्वारा थाना पर उपस्थित होकर सूचना दी गई कि उनकी बहन (उम्र लगभग 22वर्ष) दिनांक 19.04.2026 को समय करीब 18.00 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गयी है। उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी चिलकाना के निर्देशन में महिला उपनिरीक्षक सुमन सिंह के नेतृत्व में गुमशुदा की बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा की तलाश की गई, जिसके फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा को सहारनपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया। गुमशुदा से पूछताछ के दौरान गुमशुदा द्वारा बताया गया कि उसके परिजनो ने उसे किसी बात को लेकर डाट दिया था इसी बात से परेशान होकर वह घर से चली गयी थी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. एएसपी/थाना प्रभारी सुश्री सिमरन सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. म0है0का0 173 शिमला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2423 मनमोहन सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।